

अस्वीकरण: क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**रिपोर्टेबल
(प्रतिवेद्य)**

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार**

आपराधिक अपील संख्या 233 / 2010

उदय सिंह व अन्य

अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य

उत्तरदाता

निर्णय

दिनेश माहेश्वरी , न्यायाधिश.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील आपराधिक अपील संख्या 964 एस.बी. ऑफ 1997 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2018 के विरुद्ध निर्देशित है जिसमें चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेशन केस संख्या 23 ऑफ 1997 में आरोपी-अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखते हुए, उन्हें अतिरिक्त सेशन/सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सपठित धारा 34 के तहत के अपराध के लिए दिए गए चार वर्ष के सश्रम कारावास और तीन सौ रूपए के जुर्माने, जो कि डिफॉल्ट स्टिपुलेशन (शर्त/व्यवस्था) के साथ है, को 2½, (ढाई) वर्ष के सश्रम कारावास में संशोधित/परिवर्तित कर दिया है ।

2. मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं पर संक्षिप्त ध्यान दिया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है:-

2.1 अपीलकर्ता उदय सिंह, मनोज कुमार और दौलत राम (आरोपी संख्या 02 से 04) और एक हेम करण उर्फ हेमला (आरोपी संख्या 01-अब मृतक) पर धारा 306/34 भारतीय दंड संहिता के तहत के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पोहप सिंह (पी.डब्ल्यू-01) की बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया था । इस मामले में शामिल पक्ष एक दूसरे के साथ निकटता से संबंधित है। आरोपी संख्या 01 और 02 भाई थे और शिकायतकर्ता उनका चचेरा भाई है । आरोपी संख्या 03 और 04 मनोज और दौलत राम आरोपी संख्या 02 उदय सिंह के बेटे हैं । साक्षी/गवाह श्रीमती कृष्णा (पी.डब्ल्यू-11) मृतक लड़की की माता है जबकि अन्य गवाह जय नारायण (पी.डब्ल्यू-02) भी शिकायतकर्ता और आरोपी संख्या 01 और 02 का कज़न है । पार्टियां एक ही गांव शहादतनगर (हरियाणा) में आस-पड़ोस में रहती थी। परंतु पार्टियों के संबंध बहुत तनावपूर्ण थे और वे एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमों में उलझे हुए थे जिनमें एक चोट के मामले से संबंधित शिकायत शामिल थी जो कि पी.डब्ल्यू-11 श्रीमती कृष्णा (मौजूदा शिकायतकर्ता की पत्नी) द्वारा हेम करण उर्फ हेमला और उदय सिंह के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी और जिसके लिए संबंधित समय पर मुकदमा लंबित था ।

2.2 वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी व्यक्तियों, हेम करण उर्फ हेमला, उदय सिंह, मनोज और दौलत राम शिकायतकर्ता की अविवाहित बेटी (मृतक लड़की) को ताना मारते थे और उसे "पत्नी", "चाची" और बहुरिया (छोटे भाई की पत्नी) कहकर संबोधित किया करते थे और मृतक लड़की आरोपियों के इस अभद्र व्यवहार के बारे में अपने परिवार वालों को शिकायत किया करती थी। यह कहा गया था कि 15.04.1996 को शिकायतकर्ता की पत्नी और अन्य गवाह हेम करण और उदय सिंह के विरुद्ध किए गए आपराधिक मामले में अपने साक्ष्य दर्ज करवाकर गाँव वापिस लौटे तो हेम करण ने शिकायतकर्ता की बेटी को पकड़ लिया, उसे अपने घर में घसीटा, उसे धक्का दिया और उसके साथ एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। घर लौटने पर, शिकायतकर्ता की बेटी ने इस घटना का वर्णन अपनी माता को सुनाया और कहा कि वह इस प्रकार का लगातार अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह भी कहा गया था कि गाँव के बुजुर्गों की सलाह पर इस घटना का रिपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसका संबंध एक कुंवारी लड़की के भविष्य और सम्मान से संबंधित था; परंतु आरोपी व्यक्ति दैनिक आधार पर लड़की को ताना मारते रहे और हर बार लड़की को उसके परिवार द्वारा शांत रहने की सलाह दी जाती थी।

2.3 आगे यह कहा गया कि 05.05.1996 को, शिकायतकर्ता की लड़की को देखकर, जो कचरा फेंकने के बाद लौट रही थी, उदय सिंह ने कहा, "देख मेरी बहुरिया आ रही है" दौलत राम और मनोज ने कहा "वह हमारी चाची है", और हेम करण उर्फ हेमला ने कहा, "वह मेरी पत्नी है"। इन सब तानों को सुनकर शिकायतकर्ता की बेटी बहुत परेशान हो गई और उसकी उन व्यक्तियों के साथ बहस हो गई। इस घटना को कथित तौर पर जय नारायण (पी.डब्ल्यू.02) ने देखा था। पीड़ित लड़की ने एक बार फिर अपनी माता और शिकायतकर्ता के बड़े भाई राजकुमार को इस घटना के बारे में शिकायत की और रोते हुए कहा कि उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है और जब भी उसे अवसर मिलेगा वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। यह सुनकर शिकायतकर्ता की पत्नी और बड़े भाई ने लड़की को शांत करने की कोशिश की और उससे यह भी कहा कि वे शिकायतकर्ता को सूचित करेंगे (जो पुलिस स्टेशन बेरी, रोहतक में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे)। उन्होंने उसे ऐसे तानों से परेशान न होने की सलाह भी दी क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा उसके हाथ में थी और उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। परंतु अगले ही दिन यानी 06.05.1996 को लगभग 09:00 बजे सुबह शिकायतकर्ता की बेटी मृत पाई गई, गर्दन से लटकी हुई। उसकी माता ने ही सबसे पहले उसे मृत देखा था। शिकायतकर्ता, जो ड्यूटी पर था, को उसके भतीजे के माध्यम से उसकी बेटी के निधन के बारे में सूचित किया गया।

2.4 अपनी बेटी की अप्राकृतिक मौत को नोटिस करने के बाद शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज करायी और अपना बयान दर्ज कराया जिस पर एफ.आई.आर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) संख्या 93 तारीख 06.05.1996 पुलिस स्टेशन जाटूसाना में दर्ज की गई; जाँच की गई; और अंततः आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप पत्र तय किया गया।

3 मुकदमे में अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों के साक्ष्य दर्ज कराये कि आरोपी व्यक्ति शिकायकर्ता की बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अपराध के लिए दोषी है। इस अपील में शामिल सवालों के मद्देनजर, हम संक्षेप में प्रासंगिक गवाहों के बयानों पर ध्यान दे सकते हैं; पी. डब्ल्यू-01 पोहप सिंह है (शिकायतकर्ता- मृतक के पिता); पी डब्ल्यू-02 जय नारायण है (शिकायतकर्ता का भाई); और पी.डब्ल्यू-11 श्रीमती कृष्णा है (शिकायतकर्ता की पत्नी- मृतक की माता)।

3.1 पी.डब्ल्यू-1 पोहप सिंह ने कहा कि एक बार हेम करण और अन्य व्यक्तियों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी और इस बारे में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। उसने उन घटनाओं के बारे में भी बताया जो कथित रूप से 15.04.1996 और 05.5.1996 को हुई थी। उसकी जिरह के दौरान शिकायतकर्ता ने पार्टियों

के रिश्ते को स्वीकार किया; और यह भी स्वीकार किया कि उसकी मृतक बेटी; उम्र 18 वर्ष; दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी और उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू-01 ने आगे कहा था कि उसे पता था कि उसकी बेटी को आरोपियों द्वारा उसके अपमान का सामना करना पड़ रहा था; यह कि उसने वह इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था पर उसकी पत्नी, उसके भाई और जय नारायण द्वारा उसे इस बारे में अवगत कराया गया था; और यह कि उसके भतीजे नरेश ने उसे उसकी बेटी के देहांत के बारे में सूचना दी थी। उसकी जिरह में शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उनकी बेटी के उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए कोई भी पंचायत कभी नहीं बुलाई गई थी क्योंकि ऐसा माना गया था कि ऐसा कदम अंत में लड़की की शादी की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ पिछले भूमि विवाद को भी स्वीकार किया था जो 1988 में हुआ था और आखिरकार उस पर एक समझौता कर लिया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि हेम करण ने उसके विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें उसके भाई राज कुमार और गवाह जय नारायण का नाम भी आरोपियों के रूप में शामिल था।

3.2 पी.डब्ल्यू-02 ने 05.05.1996 की घटना के बारे में गवाही दी और उसने आरोपियों के आचरण और व्यवहार के बारे में भी गवाही दी। इस गवाह ने विशेष रूप से कहा कि वह राम कुमार और विरेन्द्र के साथ प्लाट पर खड़ा था जब शिकायतकर्ता की बेटी वहाँ कचरा फेंकने आई और जब वह वापिस जा रही थी तब आरोपी हेम करण ने कहा कि वह उसकी पत्नी है; उदय सिंह ने उसे "बहुरिया" कहा और दौलत तथा मनोज ने उसे "चाची" कहा। इस गवाह ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की बेटी ने रोना शुरू कर दिया और आरोपियों को उनके व्यवहार के लिए फटकार भी लगाई और उसको उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने सांत्वना दी और वे उसके साथ घर की ओर चल दिए और उसे वहाँ छोड़ दिया। यहां तक कि जब जाँच के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयान के कुछ हिस्सों पर विवाद किया गया तो इस गवाह ने कहा: "चारों आरोपी दुष्ट हैं और इसलिए हम उन्हें उनके अभद्र व्यवहार के लिए झिड़कने या फटकारने की हिम्मत नहीं कर सके। यह गलत है कि सभी चारों आरोपी सभ्य व्यक्ति हैं।

3.3 पी.डब्ल्यू-11 शिकायतकर्ता की पत्नी और मृतक लड़की की माता ने कहा कि पार्टियों के बीच लंबित भूमि विवाद के दौरान भी मृतक को आरोपी ने छेड़ा था और उसे "चाची" तथा "बहुरिया" आदि नामों/अभिव्यक्तियों से ताना मारा गया था; उस समय के दौरान भी, पंचायत के किसी भी बुजुर्ग ने आरोपियों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया; और यह कि आरोपी ईव-टीज़र (छेड़खानी करने वाले) थे और उन्होंने गाँव की अन्य लड़कियों को भी अवश्य ही अपना शिकार बनाया होगा। उसने अपनी गवाही में यह भी कहा कि उसने आरोपियों द्वारा बार-बार उसकी लड़की के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के बारे में आरोपियों की पत्नियों को बताया था।

3.3.1 पी.डब्ल्यू-11 ने आगे अपनी गवाही में कहा कि घटना से तीन वर्ष पहले हेम करण ने उसके सिर पर गंडासी से वार किया था और वह ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट, रेवाड़ी की कोर्ट में केस का सामना कर रहा था और इसलिए उसकी बेटी को आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से निशाना बनाया गया। उसने अपनी गवाही में यह भी कहा था चोट वाले केस में गवाही/साक्ष्य दर्ज कराने वाले दिन यानि कि 15.04.1996 को हेम करण ने उसकी बेटी को अपने घर में खींच लिया और उसका अपमान किया परन्तु अविवाहित लड़की के सम्मान को बचाए रखने के उद्देश्य से घर के पुरुष सदस्य मामले को पुलिस को रिपोर्ट करने के विरुद्ध थे।

3.3.2 पी.डब्ल्यू-11 ने भी अपनी गवाही में कहा कि 05.05.1996 को जब उसकी लड़की कूड़ा फेंकने गई थी, उसे आरोपियों द्वारा रोका गया और उसके साथ उन सभी के द्वारा फिर से छेड़-छाड़ की गई। पी.डब्ल्यू-11 ने कहा कि उसकी बेटी सभी तानों और टिप्पणियों जिसका उसे सामना करना पड़ रहा था, के कारण थककर आशाहीन हो गई थी और सारी रात वह रोती रही और यहाँ तक कि उसने नींद की एक झपकी तक नहीं ली।

गवाह ने गवाही दी कि 06.05.1996 को यानि की अगले ही दिन, उसकी बेटी ने अपनी जीवन लीला फंदा लगाकर समाप्त कर ली और उसने ऐसा उसके प्रति आरोपियों द्वारा लगातार किए जा रहे अभद्र अपमान के परिणामस्वरूप किया ; और उसने ही अपनी बेटी को गले में फंदा डाले हुए पाया था। पी.डब्ल्यू-11 ने यह भी कहा कि इससे पहले उसकी बेटी की मंगनी हुई थी परन्तु घटना से छह मास पहले यह मंगनी टूट गई थी।

3.3.3 उनकी प्रासंगिकता के लिए, पी.डब्ल्यू-11 की गवाही के प्रमुख भाग नीचे उद्धरत हैं—

05.05.96 को शाम करीब 05:30 बजे एक प्लाट में कूडही पर कूड़ा डालने गई थी। जैसे ही वह प्लाट से लौटी, आरोपी हेम करण, दौलत ,मनोज और उदय सिंह ने उसे रोका। दौलत और मनोज ने उसे "चाची" कहकर संबोधित करते हुए छेड़ा । आरोपी उदय सिंह ने उसे बहुरिया (छोटे भाई की पत्नी) कहकर संबोधित किया। आरोपी हेमला उर्फ हेम करण ने उसे "पत्नी" कहकर संबोधित किया। फिर वह अपने घर लौट आई और मेरी उपस्थिति में फूट-फूट कर रोई। उसने मुझे बताया कि विरेन्द्र, जय नारायण और राम कुमार ने सभी आरोपियों का अनुचित व्यवहार देखा है। मीना ने मुझे बताया था कि वह पूरी तरह से थककर आशाहीन हो गई थी और ऐसा आरोपियों द्वारा कभी-कभी किए जाने वाले तानों के कारण था और यह कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी ।

06.05.96 को मेरी बेटी ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उसने ऐसा आरोपियों का उसके प्रति लगातार किए जा रहे अभद्र व्यवहार के परिणामस्वरूप किया।

×××× कास इग्जामिनेशन (ज़िरह)

लगभग 8/9 साल पहले हमारे परिवार और आरोपियों के बीच एक भूमि विवाद था परन्तु , वह सुलझा लिया गया था। उस भूमि विवाद के दौरान भी आरोपी उसको छेड़ते और उस पर ताने मारते रहते थे । वे तब भी मीना को इन शब्दों यानि "चाची" और "बहुरिया" कहकर पुकारते थे। आरोपियों ने इसे रोजमर्रा की प्रक्रिया बना लिया था। पूरे गाँव का समाज मीना के प्रति कहे जाने वाले अभद्र शब्दों के बारे में जानता था। हम हमेशा इस मामले को गंभीरता से लेकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे क्योंकि इसमें एक कुंवारी लड़की का मान सम्मान जुड़ा हुआ था। गाँव के किसी भी चुने हुए पंचायत सदस्य या समाज के किसी भी अन्य सम्मानित सदस्य/व्यक्ति ने आरोपियों को उनके व्यवहार के कारण नहीं झिड़का था क्योंकि वे सभी असामाजिक तत्व हैं और कोई भी सम्मानीय व्यक्ति उनके साथ माथा पच्ची (उलझना) करना नहीं चाहता । मैं यह नहीं जानता कि हमसे जुड़े हुए दो मामलों के अलावा क्या कोई अन्य मामला/मामले भी आरोपियों के विरुद्ध लंबित हैं। खुद कहा कि वे ईव-टीज़रस (छेड़-छाड़ करने वाले) हैं और उन्होंने अलग-अलग लोगों से उधार भी ले रखा है और ऐसा भी हो सकता है कि इन मामलों के संदर्भ में पुलिस थानों और न्यायालयों में कई केस लंबित हों परन्तु मेरे पास इस संदर्भ में कोई सटीक सूचना नहीं है। मैं उन लड़कियों और उनके अभिभावकों के नाम नहीं जानता जो आरोपियों के व्यवहार का शिकार हुए हैं। शायद वे गाँव की दस/ग्यारह लड़कियों को छेड़ने के मामलों में शामिल हैं। शायद हमने पुलिस को इस बारे में सूचना दी होगी।

यह गलत है कि मैं आरोपियों के विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा हूँ या कि वे कभी भी गाँव में किसी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं।

आरोपी और मेरा पति कज़नस हैं। हेमकरण और उदय की पत्नियाँ मेरी दवरानी या जेठानी हैं। मैंने इन महिलाओं को आरोपियों के अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायत की थी। मैंने उन्हें लगातार

शिकायतों की थी। मुझे नहीं पता कि उन शिकायतों का क्या परिणाम निकलता था। हमारे पुरुष सदस्यों ने भी इस घटना के बारे में हमारे पड़ोसियों और महल्ले वालों को सूचित किया था।

मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी क्योंकि वह आरोपियों द्वारा उसके प्रति किए जाने वाले अभद्र व्यवहार से त्रस्त (परेशान) थी और इसलिए भी क्योंकि हमने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की थी। वह चाहती थी कि हम यह मामला पुलिस को रिपोर्ट करें और आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

XXX

XXX

XXX

“मेरी लड़की 05.05.1996 को उसे घसीटे जाने की घटना के बाद घर अकेले आई थी। यह गलत है कि मनोज और दौलत 05.05.1996 को गाँव में मौजूद नहीं थे या वो अपने मामा के पैतृक गाँव ज्यानाबाद में थे। जब मीना ने 05.05.1996 की घटना मुझे बताई थी तो मैंने किसी भी व्यक्ति को मेरे पति को बुलाने नहीं भेजा था। उस रात को मीना मेरे बगल में सोई थी। वह सारी रात फूट-फूट कर रोती रही और उसने नींद की एक झपकी नहीं ली। सुबह लगभग 8 बजे मैंने उसे रोटी और चाय दी थी। उसके बाद मैं बैलों को चारा देने चली गयी थी। उस वक्त भी वह मानसीक रूप से परेशान थी। दस मिनट के अंतराल के बाद मैं घर लौटी और मीना को रस्सी से लटका हुआ पाया। मैं लगभग 9 बजे बैलों को देखने गई थी और 10 मिनट के अंतराल में वापिस आ गई थी। उस दिन मैं खेत में नहीं गई थी पर मैं अबादी में स्थित प्लाट में गई थी जहाँ पर बैलों को बांधा गया था। उस दिन मैं लगभग 6 बजे उठी थी। यह गलत है कि यह पूरी कहानी मनगढ़न्त है और यह कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह गलत है कि मेरी लड़की ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी या कि 05/06 मई, 1996 के दरमियान रात को उसे मेरे आदमियों ने मारा था। यह भी गलत है कि शायद मेरी लड़की 05.05.96 को लगभग 04:20 P.M पर ही मर चुकी थी। यह गलत है कि मेरे पति पोहप सिंह जो कि एक पुलिस वाला है, ने एक समुच्च्य झूठी कहानी रची है और यह भी कि सभी आरोपियों को इस मामले में झूठा फसाया गया है।”

4. अपने बचाव में आरोपियों ने ग्यारह गवाहों को इग्जामिन (परिक्षण) किया। मुख्य रूप से यह सुझाने के लिए कि 4.05.96 को आरोपी संख्या 3 और 4 यानि मनोज और दौलत जैनावाद गए थे और उन्हें इस केस में झूठा फसाया गया था, और यह कि इस संदर्भ में एक दर्खस्त दिनांकित 05.06.1996 ,डी.आई.जी. रोहतक को भेजी गई थी। गवाहों ने यह भी सूझाव दिया कि उसकी मंगनी टूट जाने के बाद से वह तनावग्रस्त थी और इसीलिए उसने आत्महत्या की थी।

5. सबुतों/गवाहियों को परखने पर ट्रायल कोर्ट ने अपने निर्णय/आदेश दिनांकित 28.11.1997 में यह पाया कि गवाहों के बयानों में मामूली त्रुटियां अभियोजन पक्ष के मामले को ठुकराने/नामंजूर करने का कारण नहीं बन सकता और ना ही ऐसा कहा जा सकता है कि चूंकि वे सभी गवाहों को इग्जामिन (परीक्षण) करने में असमर्थ रहे हैं तो इसलिए अभियोजन पक्ष का केस/मामला संदिग्ध है। ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्यों/गवाहियों के जरिए दिए गए सुझावों को खारिज कर दिया और यह पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला/केस आरोपियों के विरुद्ध साबित हुआ था; और यह कि आरोपियों के कार्य और कर्म आत्महत्या के लिए उकसाने वाले थे। परिणामस्वरूप आरोपियों को धारा 306 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय जुर्म के लिए दोषी पाया गया और हर एक को चार वर्ष का सश्रम कारावास और डिफाल्ट स्टिपुलेशन (शर्त/व्यवस्था) के साथ तीन सौ रुपए का जुर्माना किया गया।

6. आरोपी द्वारा की गई अपील में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पाया कि 05.05.1996 की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, कि 15.4.1996 की घटना गाँव की लड़की को बदनाम करने के लिए पर्याप्त थी; कि मृतक को आरोपियों द्वारा कई अवसरों पर छेड़ा और परेशान किया गया था; और यह कि आरोपियों की ओर से एक विवाह योग्य उम्र की लड़की को लगातार चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार देखा और पाया :-

“वर्तमान मामले में, 05 मई 1996 का एकांत उदाहरण नहीं है जिसके परिणामस्वरूप 06 मई 1996 को आत्महत्या की गई, परन्तु उससे पहले भी, गवाहों ने ऐसा कहा है कि आरोपी मीना को छेड़ते थे। 15 अप्रैल 1996 को भी, जब कृष्णा न्यायालय से वापिस आई, मीना को पकड़ा गया था और उसे घसीटा गया था। अतः समूचे गाँव में, जहाँ एक लड़की के सम्मान के साथ बहुत बड़ा मूल्य जुड़ा होता है, जहाँ लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें समाज में घुलने मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, 15 अप्रैल 1996 की घटना एक लड़की को बदनाम करने के लिए पर्याप्त थी, इसके अलावा प्रत्येक दिन आरोपियों द्वारा लड़की को धमकाया और अपमानित किया जाता था और ऐसा सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया जाता था कि उसकी माता द्वारा रजिस्टर करवाये गए, अपराधिक मामले का कुछ भी असर/प्रभाव नहीं है, और यह कि वे ताकत के मामले में श्रेष्ठतर हैं और वे गाँव की लड़की को तंग करना चाहते थे। हमारे समाज में “जिसकी लाठी उसकी भैंस” का दावा करना स्वीकार्य नहीं है। परिस्थितियों की श्रृंखला से यह पता चलता है कि वहाँ पर आरोपियों की तरफ से एक विवाह योग्य उम्र की लड़की को लगातार चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया था। इसलिए, उनकी ओर से मीना को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण (बहकाना/उकसाना) पूर्ण होता है और उन्हें धारा 306 भा.द.स. के अंतर्गत के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

6.1 उपरोक्त निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने कनविकेशन आर्डर (सजा का आदेश) को बरकरार रखा परन्तु सजा को कम करते हुए उसे 2½ वर्ष का कारावास कर दिया और ऐसा इस आधार पर किया गया कि आरोपी पहले ही बारह वर्ष के लंबे ट्रायल का सामना कर चुके हैं।

7. यहाँ यह कहना उचित होगा कि इस मामले में 22.07.2009 को विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं, उस स्थिति में, यदि पर्याप्त सबूत स्वीकार्य पाए जाते हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाए, भले ही उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सके। हम थोड़ी देर बाद इन प्रश्नों की जाँच करेंगे कि क्या आरोपियों के मध्ये मढ़े गए कृत्यों और कथनों के लिए वे दोषी हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या वे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (बहकाव) के अपराध के दोषी हैं या कि वे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अन्य अपराध के दोषी हैं।

8. अपीलकर्ता-आरोपियों के अधिवक्ता ने कर्मठता से यह तर्क दिया है कि इस तथ्य के प्रत्यक्ष और ठोस सबूतों का अभाव है कि आरोपियों ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित (बहकाव) किया; यह कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक ने अपनी जीवन लीला आरोपियों पर मढ़े गए कथनों और कृत्यों के कारण की थी; और यह कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और गवाहों की गवाही कुछ भी नहीं है बल्कि केवल कही सुनी बातें मात्र है। अधिवक्ता यह बताना चाहते हैं कि मृतक स्पष्ट रूप से अपनी पढ़ाई छोड़ने के कारण उदास थी क्योंकि वह अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी पास नहीं कर पायी, क्योंकि घटना से कुछ महीने पहले उसकी सगाई भी टूट गयी थी। उसके आत्महत्या के वास्तविक कारणों में अपीलकर्ताओं को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अधिवक्ता यह बताना चाहते हैं कि दोनों पार्टियों अपराधिक मामलों सहित कुछ पिछले

मामले में भी जुड़े हुए हैं और आरोपी अपीलकर्ताओं को जान बुझकर इस मामले में पिछली दुश्मनी की वजह से फंसाया गया था । अधिवक्ता ने कुछ आदेशों का हवाला देकर इस पर भरोसा जताया है; रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ छत्तिसगढ़ (2001) 9 SCC 618, मदन मोहन बनाम गुजरात राज्य और एक : (2010) 8 SCC 628 और पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य : (2017) 7 SCC 780 अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एक विकल्प के तौर पे कि , यही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को उसके प्रत्यक्ष/अंकित मुख्य पर लिया जाये तो भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध कुछ बयानों द्वारा एक महिला की लाज का अपमान करने से ज्यादा का नहीं हो सकता , और उस स्थिति में भी अपीलकर्ताओं को केवल धारा 509 के तहत अपराध का दोषी ठहराया जा सकता , लेकिन भारतीय दंड संहिता के अनुसार 306 के तहत आत्महत्या के लिये नहीं । अधिवक्ता ने अपीलकर्ता नं0-2 के लिये यह भी तर्क दिया है कि घटना के दिन अर्थात 05.05.1996 को अपीलार्थी न0 2 नाबालिग था, उसकी जन्म तिथि 20.04.1980 के मुताबिक वो उस समय 16 साल के आसपास था और इसलिये उसे एक किशोर के रूप में मानना चाहिये और इस ट्रायल में सजा नहीं सुनाई जा सकती ।

9. दूसरी तरफ प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दर्ज साक्ष्य और निचली न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों के संदर्भ में अपीलों और प्रस्तुत किये गए वक्तव्यों का विधिवत विरोध किया है। अधिवक्ता ने गवाहों के बयान प्रस्तुत किए कि गवाहों की गवाही खासकर pw-2 और pw-11 कीसाबित करते हैं की उन्होने पीड़िता को अपमानित और परेशान /उत्पीड़ित किया है। एक 18 साल की लड़की को लगातार अपमानित किया गया उनके इस बरताव से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। इसलिए अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ताओं को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध के लिये दोषी ठहराया है |जो कि सही है।

10. दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया और संबंधित कानून को मददे नजर रखते हुए हमारा यह मानना है कि जहां तक अपीलकर्ता नं0 2 का सवाल है (आरोपी न0-3), वह किशोर न्याय के लाभ का हकदार है (Jivenile Justice Care and Protection of Children) Act,2000 [The Act of 2000] और उसके संदर्भ में कार्यवाही को खत्म करने की आवश्यकता है।

11. माध्यमिक का प्रमाणपत्र जिसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 24.06.1994 को अपीलकर्ता न0 2 के संदर्भ में जारी किया था उसे रिकॉर्ड पर रख गया है, जिसमें यह जन्म तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई है "20.04.1980". इस प्रमाणपत्र पर प्रतिवादी पक्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है, इन परिस्थितियों को मददे नजर रखते हुए हमारे पास इसकी शुद्धता और सत्यता पर शक करने की कोई वजह नहीं है और ना ही मामले में आगे की जांच करने का कोई कारण प्रतीत होता है ।

11.1 06.05.1996 को शिकायतकर्ता की बेटी मृत मिली थी जिसने की आत्महत्या की थी और उसके इस चरम कदम को उठाने की वजह आरोपियों द्वारा उसको लगातार परेशान और निरादर करना कहा जा रहा है जो की आखरी घटना थी 05.05.1996 की ।इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता न0 2 की उमर 16 वर्ष की थी घटना की तिथी वाले दिन। हालांकी इस तथ्य को निचली और उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हीं रखा गया था मगर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून- राजू बनाम हरियाणा राज्य 2019(4) SCALE 398 , वह इस अपील में भी इस दलील को रखने का हकदार है। अनुभाग 2(k), 2(i), 7A साथ में पढ़ें अनुभाग/धारा 20 सन 2000 के अधिनियम के मददेनजर, अपीलकर्ता न0 2 जो की एक किशोर था, जिसकी उमर 18 साल नहीं हुई थी जिस समय यह अपराध हुआ, उसको उसके किशोरावस्था के लाभ का हकदार है। राजू के मुकदमें (पहले बताये गये) में निम्नलिखित बातों की समीक्षा की गयी ।

“9. यह अब तक अच्छी तरह से सिद्ध हो गया है और जैसा की हरी राम बनाम राजस्थान राज्य में कहा गया था (2009) 13 SCC 211 अनुभाग 2(k), 2(i) साथ पढ़ें अनुभाग 20 सन 2000 का कानून, 2006 में संशोधित, एक किशोर जोकी 18 साल का नहीं हुआ था घटना की तिथी वाले दिन, वा सन 2000 के कानून का लाभ का हकदार है (साथ में देखिये मोहन माली बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 6 SCC 669 दयानंद बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, (2013) 11 SCC 193 यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि सन 2000 के अधिनियम की धारा 7A के मामले में किसी अभियुक्त द्वारा किसी भी न्यायालय में इस न्यायालय सहित, के समक्ष किसी भी स्तर पर किशोर के दावे को उठाया जा सकता है। देखिये धर्मवीर बनाम राज्य (NCT) दिल्ली, (पूर्व) अबुजर होसैन बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, (2012) 10

SCC 489, जितेन्द्र सिंह उर्फ बबलू सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (पूर्व) अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2015) 15 SCC 637

10. उपरोक्त कानूनी स्थिति के प्रकाश में यह तो बिल्कुल स्पष्ट है की अपीलकर्ता सन् 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार है अगर जिस दिन अपराध की घटना घटी, उसकी उमर 18 साल से कम पायी जाती है। इसके अलावा यह अप्रासंगिक होगा कि धारा 07A के आलोक में किशोरता की दलील ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं उठाई गई। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता अपराध किए जाने के दिन 18 वर्ष की आयु से नीचे था। हमारे समक्ष केवल यह प्रश्न है जिसे कि निधारित किए जाने की आवश्यकता है और वह यह है कि क्या इस प्रकार की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत विचार के ऊपर तरजीह की जा सकती है ताकि अपीलकर्ता को 2000 के अधिनियम का लाभ दिया जा सके।

XXXX

XXXXX

XXXXX

25. आपराधिक अपील मंजूर की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश जिसमें कि अपीलकर्ता को धारा 376 (2) (जी) के तहत की गई सजा की पुष्टि की गई थी, को दरकिनार किया जाता है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही 6 वर्ष की सजा काट चुका है जबकि 2000 के एक्ट की धारा 15(1)(जी) के तहत एक किशोर को अधिकतम केवल तीन वर्ष के लिए ही स्पेशल होम में भेजा जा सकता है, हम अपीलकर्ता को हिरासत से रिहा करने का निर्देश देते हैं अगर वह किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने के लिए वांछित नहीं है।

11.2 उपरोक्त के मद्देनजर और इस निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर भी कि अपीलकर्ता संख्या 02 अपराध करने के दिन 18 वर्ष से कम की आयु का था, उसके संबंध में अपील मंजूर किए जाने के लिए योग्य है।

12. अन्य अपीलकर्ताओं के मामले को उठाते हुए, जैसा कि अपील के लिए दायर विशेष अवकाश याचिका के दौरान नोटिस किया गया था, इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की नोटिस जारी किया था कि उन्हें भारतीय दंड संहिता के उचित प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा क्यों नहीं दी जाए भले ही उन्हें, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के संदर्भ में, दोषी न ठहराया गया हो। स्पष्ट रूप से यह नोटिस अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में निर्दिष्ट अपराध “शब्द, इशारा या कार्य जिसका इरादा किसी महिला की मोडेस्टी (लज्जा) का अपमान करना हो” के संदर्भ में जारी किया गया था। जाहिर है, अनुमति/अवकाश याचिका में की गई प्रार्थना पर विचार करने के दौरान, इस न्यायालय ने इस मामले की व्यापक विशेषताओं पर भी विचार किया था और इस बात का प्रथम दृष्टतया संकेत दिया गया था कि भले ही

आरोपियों के कृत्य/कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में वर्णित आत्महत्या के अपराध के घटकों से कम पाए जाए, फिर भी, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत एक महिला की मोडेस्टी(लज्जा) के अपमान के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान भी हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं से विकल्प में बताए गए अपराध के सवाल पर पर्याप्त अवधि/समय तक सुना है। हालाँकि, उपयुक्त कानून के संदर्भ में, पूरे रिकार्ड को स्कैन करने पर, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आता है और अपीलकर्ताओं को इसके अंतर्गत दोषी पाया गया है जो कि वस्तुतः उचित ही है।

13. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, जो कि इस प्रकार से है:-

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण.... यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांती के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

13.1 वाक्यांश "दुष्प्रेरण" की भारतीय दंड संहिता में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

"107. किसी बात का दुष्प्रेरण—वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो

पहला— उस बात को करने के लिए किसी को उकसाता है ,अथवा

दूसरा— उस बात को करने के लिए षडयंत्र में एक या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा—उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण: 1— जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्घ्यपदेशन द्वारा , या तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण: 2— जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने के सूकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सूकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

13.2 शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित से संबंधित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, जो कि इस प्रकार से है * :-

_____*

एक्ट संख्या 13 ऑफ 2013 के द्वारा धारा 509 भारतीय दंड संहिता का संशोधन वर्तमान अवस्था में किया गया था जिसमें पहले की एक साल की साधारण कारावास की सजा को बढ़ाकर तीन साल की सजा कर दी गई थी।

509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है— जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनी या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सूनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से ,दण्डित किया जाएगा।

14. जब वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों की उत्पत्ति कुछ कार्यों/कृत्यों और उच्चारणों से हुई है जिसके लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया गया है, इस बात की आवश्यकता है कि अभिव्यक्तियों "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव), विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाव के अपराध के संदर्भ में इसके संचालन पर विस्तृत रूप से विचार किया जाए। इसलिए, आगे बढ़ने से पहले केस लॉ (नजीरो) जो कि संदर्भित किए गए है और जो कि इस मामले में प्रसंगिक है, वो नोट करना (यानि उन पर ध्यान देना) उचित होगा।

14.1 रमेश कुमार (सुप्रा यानि पूर्व वर्णित) के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में वर्णित घटकों को संतोषजनक रूप में साबित नहीं किया गया था जिससे कि आरोपियों को मामले में फंसाया जाए और उन्हें सजा दी जा सके। मामले के तथ्य , जिससे कि उपरोक्त निर्णय तक पहुँचा गया था, यह थे कि मृतक की शादी आरोपी से लगभग एक वर्ष पूर्व हुई थी, मृतक ने रसोई में खुद पर मिट्टी का तेल डालकर और आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के दिन, आरोपी ने मृतक को उसके घर ले जाने से मना कर दिया था और उसके बाद हुए झगड़े के दौरान, आरोपी पति ने मृतक पत्नी को कहा था कि वो जो चाहे कर सकती है और यह भी कि वो जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र थी। आरोपी ने उसके शरीर पर बेडशीट डालकर उसे बचाने का प्रयास किया और परिणामस्वरूप वह स्वयं भी जल गया था। मृतक ने अपने पति— आरोपी को अपनी डायरी में एक पत्र लिखा था कि उसने उसे, वह जहाँ भी जाना पसंद करे ,जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया था परंतु उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और अब वह आत्महत्या करने के लिए, उसके शब्दों के कारण, मुक्त थी। अपने डाईंग डिकलेरेशन (मृत्युकालिक कथन) में भी उसने कहा कि उसका पति से झगड़ा हुआ था जिसने कि उसे कहा था कि वह जहाँ चाहे चली जाए और यह कि उसके बाद उसने खुद को आग लगा ली थी। आरोपी अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498(ए) के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को बरकरार रखा।

आगे की गई अपील में, पार्टियों द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर से जाँच करते हुए और साथ ही अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर , इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता की धारा 498—ए के तहत की गई सजा को बरकरार रखते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत की गई सजा को दरकिनार कर दिया। इस न्यायालय ने निम्नलिखित के रूप में इंटर आलिया (अन्यों/औरों के साथ—साथ) यह देखा और पाया कि:

“19संभवतः आरोपी ने ऐसा कुछ कहा होगा—तुम जो करना चाहो कर सकती हो और जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। मृतक ने एक पवित्र हिंदू पत्नी होने के नाते महसूस किया कि चूंकि उसके माता—पिता द्वारा उसे उसके पति को शादी में दिया गया था, इसलिए उसके पास उसके पति के घर के अलावा कोई और दूसरी जगह नहीं थी और यदि उसके पति ने उसे “मुक्त” कर दिया था तो उसने

आवेग में आकर सोचा कि वह एकमात्र एक ही कार्य कर सकती थी और वह कार्य था आत्महत्या— शांति से मरो और इस प्रकार अपनी समझ के अनुसार अपने पति की इच्छा को समझकर खुद को मुक्त करो। क्या इसे आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव कहा जा सकता है? दुर्भाग्य से ट्रायल कोर्ट ने मृतक द्वारा अपने पति पर मढ़ी गई अभिव्यक्ति का गलत अर्थ निकाला कि आरोपी ने उसे आत्महत्या करने के लिए स्वतंत्र होने का सुझाव दिया था। मृतक को, वह जहाँ भी जाना पसंद करे और वह जो कुछ भी करना चाहे उसके लिए उसे मुक्त करना— इन बातों को किसी भी प्रकार से खींचकर यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने मृतक को “आत्महत्या करने के लिए” मुक्त कर दिया था, जैसा कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने माना है।

20. “इंसटीगेशन” (भड़काना/उकसाना) से तात्पर्य है— किसी “कार्य/कृत्य” को करने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उकसाना, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना। “इंसटीगेशन” (भड़काना/उकसाना) के घटकों/कारकों की पूर्ति के लिए हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का प्रयोग उस प्रभाव के लिए किया जाए या कि “इंसटीगेशन” (भड़काना/उकसाना) के घटक/कारक आवश्यक रूप में और “स्पेसीफिकली” (विशेषतः) परिणाम की तरफ संकेत करते हो। फिर भी परिणाम के लिए उकसाने की एक उचित निश्चितता अवश्य ही दिखाई देनी चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है जहाँ कि आरोपी ने उसके द्वारा किए गए किसी कार्य/कृत्यों या किसी मूक द्वारा या उसके किसी निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हो जिसके कारण मृतक के पास सिवाय आत्महत्या करने के कोई और विकल्प न रह गया हो और उस स्थिति में “इंसटीगेशन” (बहकाव/उकसाव) मानी जा सकती थी। क्रोध या भावना के आवेग में कहा गया कोई शब्द/कथन जिसका की वास्तव में पालन किए जाने का इरादा न हो, इस स्थिति में इसे “इंसटीगेशन” (बहकाव/उकसाव) नहीं कहा जा सकता।

21. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल [(1994) 1 SCC 73], में इस न्यायालय ने यह चेतावनी दी है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आकलन में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का भी बारीकी से परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने असलियत में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। यदि न्यायालय को यह लगता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता साधारण कलह, मतभेद आदि, जो कि उस समाज के घरेलू जीवन में काफी आम है जिससे कि पीड़िता संबंधित थी, के प्रति अति संवेदनशील थी और इस प्रकार का कलह, मतभेद आदि किसी दिए गए समाज में परिस्थितिजन्य व्यक्ति को समान रूप से प्रेरित करने में अपेक्षित नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए और न्यायालय को आरोपी, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने/बहकाने का आरोप लगा है, को दोषी ठहराने के लिए ऊपर वर्णित परिस्थितियों को आधार नहीं बनाना चाहिए।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया।)

14.2 पवन कुमार (सुप्रा) के मामले में आरोपी पर यह आरोप था कि चूंकि वह मृतक लड़की के साथ भाग गया था तो उसने सोचा कि उसके खिलाफ लड़की के परिवार द्वारा की गई आपराधिक कार्यवाही के लिए वह जिम्मेदार थी और इसी कारण से उसने उसे नितान्त कष्ट दिए और उसने ऐसा इस बात के बावजूद किया कि उस लड़की ने उस लड़के पर लगे अपराध के आरोपों से उसे बरी कर दिया था। एक अवसर पर, जब मृतक अपने माता पिता के घर पर रह रही थी, उसने उसका अपहरण करने की धमकी दी तथा इसके चलते उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। उसने अपने डाईंग डिक्लेरेशन (मृत्युकालिक

कथन) में एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि उसके द्वारा उठाए गए कदम के लिए आरोपी जिम्मेदार था । हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, उसके बाद की गई अपील पर, बरी करने के आदेश को उच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सात साल का कठोर कारावास और जुमाने की सजा की गई । आगे की गई अपील में, इस न्यायालय की एक अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने कई फैसलों का उल्लेख किया जिसमें ऊपर वर्णित रमेश कुमार का मामला (सुप्रा) भी शामिल था और इंटर आलिया (अन्य बातों के साथ-साथ) यह पाया कि :

"34. "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में नहीं की गई है । इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दी गई "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) की परिभाषा प्रसंगिक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 उन लोगों को दंडित करना चाहती है जो दूसरों को आत्महत्या करने के लिए उकसाते/बहकाते हैं। क्या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया/बहकाया था या नहीं, इस बात का आकलन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही किया जा सकता है और इसमें आरोपी के लगातार आचरण और उसकी मानसिक स्थिति शामिल है।

XXXX

XXXXXX

XXXXXX

36. शब्द "इंसटीगेट" (बहकाव/उकसाव) का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना ,प्रेरित करना, आगे के कार्य के लिए आग्रह करना, किसी कार्य को करने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उकसाया, ऐसा तब कहा जाएगा जब वह सक्रिय रूप से दूसरे व्यक्ति को किसी माध्यम या भाषा ,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य को करने के लिए सुझाव देता है या उत्तेजित करता है और ऐसा व्यक्त (expressed) , विनती, संकेत, आक्षेप, आग्रह या प्रोत्साहन के रूप में हो सकता है । "इंसटिगेशन" (उकसाव/बहकाव) शब्दों में (exoresed) (व्यक्त रूप में) या आचरण (implied/निहित) में हो सकता है।

37. "आगे आग्रह करता हूँ" (Urge forwards) शब्द का अर्थ है सलाह देना या किसी को कुछ करने के लिए राजी करने के लिए बहुत अधिक/कठिन प्रयास करना, यानि कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में अधिक तेजी के साथ ले जाना, खासकर ऐसे व्यक्ति को कुछ करने के लिए मजबूर कर देना । इसलिए उस व्यक्ति को, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसे भड़काने, उकसाने, बहकाने का इरादा रखता है, उसे ऐसा करने के लिए बाद वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित या आगे बढ़ने के लिए आग्रह करना होता है। "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) साबित करने के लिए यह अवश्य ही दिखाना होगा कि आरोपी तब तक मृतक को आग्रह करता रहा या शब्दों से परेशान करता रहा या ताने मारता रहा जब तक कि मृतक ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर दी। एक आकस्मिक टिप्पणी या किसी सामान्य बातचीत के दौरान कही गई कुछ नियमित बात/टिप्पणी को "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) नहीं समझा जाना चाहिए यानि कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए ।

XXXX

XXXXXX

XXXXXX

43. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें यह पता करने की आवश्यकता है कि क्या आत्महत्या करने के लिए "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) हुई है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि

आरोपी पर सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न के आरोप की स्थिति में, जिसके चलते किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जानी आरोपित है, परंतु जहां आरोपी द्वारा घटना के समय के निकट घटना को घटित होने देने के लिए कोई सकारात्मक कारवाई ना की गई हो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दी गई सजा कायम रखे जाने योग्य नहीं है । एक आकस्मिक टिप्पणी जो सामान्य चीजों में उत्पीड़न का कारण बन सकती है, वह इंस्टीगेशन (बहकाव/उकसाव) के दायरे में नहीं आएगी। मात्र एक फटकार या गुस्से में कहा गया एक शब्द एबेटमेंट (बहकाव/उकसाव) की अवस्था अर्जित नहीं करेगा। एक सकारात्मक कारवाई होनी चाहिए जो कि पीड़ित के लिए आत्महत्या करने के लिए स्थिति उत्पन्न करती हो ।

44. तात्कालिक मामले में आरोपी ने अपने कार्यों द्वारा और अपने लगातार किए गए आचरण द्वारा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिसके परिणामस्वरूप मृतक के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचा था। आरोपी के सक्रिय कृत्यों ने मृतक को उसके जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित किया । इसके अलावा हमें रिकार्ड में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो इस न्यायालय को मजबूर करे यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता सामान्य झल्लाहट, कलह और घरेलू जीवन के मतभेदों के प्रति अति संवेदनशील थी जो कि जिस समाज से वह पीड़िता संबद्ध थी, उसमें काफी सामान्य बात थी, दूसरी तरफ आरोपी ने पीड़िता के आत्म सम्मान और स्वाभिमान को कलंकित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है जिससे पीड़िता लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाया गया । वास्तव में, उसके साथ हुई क्रूरता ने उसे उसके जीवन की चिंगारी को बुझाने के लिए प्रेरित किया ।

45. जैसा कि प्रत्यक्ष है, उच्च न्यायालय ने केवल मृत्युकालिक कथन (dying declaration) के आधार पर ही बरी करने वाले निर्णय को नहीं पलटा है। उन्होंने माता पिता और अन्य गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर भी भरोसा किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा दिए गए विवरण को भी विश्वसनीय माना है इन सभी गवाहों ने यह कहा है कि उनके बरी होने के बाद आरोपी ने लड़की को धमकाने और छेड़ने का काम किया । उसने उसे शांति से नहीं रहने दिया ।

46. उस पर किया जाने वाला उत्पीड़न असहनीय हो चुका था । उसके पिता ने अपनी गवाही में कहा है कि लड़की ने उसे कई मौकों पर बताया था ओर उसने प्रधान को इस बारे में शिकायत की थी। यह सब कुछ आरोपी की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जब किसी व्यक्ति को ऋण के भुगतान के लिए अपमानित किया गया हो। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां कोई व्यक्ति किसी एक कृत्य के लिए अपमानित महसूस करे। यह पूरी तरह से अलग स्थिति है । एक गांव में रहने वाली यूवा लड़की को लगातार धमकी दी गई और छेड़ा गया । वह अब इसे और सहन नहीं कर सकती थी। इस बात के सबूत है कि माता-पिता समाज के गरीब तबके से है । जैसा कि रिकार्ड की सामग्री दर्शाती है कि जब चंडीगढ़ के अस्पताल में उसकी लड़की को रेफर किया गया था, तो पिता उसका इलाज करा पाने में असमर्थ था। परिवार की असुरक्षा प्रकट होती है । रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि आरोपी का आचरण बिल्कुल सक्रिय था।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

14.3 पवन कुमार (सुप्रा) के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के संदर्भ में एक महिला के सकारात्मक अधिकारों का संकेत देते हुए इस न्यायालय ने ईव-टीजिंग (छेड़खानी) के खतरों और इसके

समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की । इस न्यायालय ने पहले के एक फैसले का उल्लेख किया और यह पाया कि :-

"47 हमें यह बताने में बहुत पीड़ा हो रही है कि एक सभ्य समाज में ईव टीजिंग (छेड़खानी) के कारण शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो केवल यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए अपेक्षित सम्मान की भावना सामाजिक रूप से विकसित नहीं की गई है। एक महिला के पास एक पुरुष के समान ही अपनी जगह है। वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उतनी ही समानता प्राप्त करती है जितनी कि एक पुरुष करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन इव टीजिंग (छेड़खानी) , की अप्रिय कारवाई/कृत्य में लिप्त होकर नहीं किया जा सकता । यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लिंग समानता और न्याय की बुनियादी अवधारणा और एक महिला के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह एक महिला के अधिकार में एक असाध्य निशान/गड्ढा है जो कि उसे संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त है । यह सोचने के लिए विवश/मजबूर करता है कि इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और सम्मान और स्वतंत्रता के साथ सशक्त जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है

48. एक सभ्य समाज में पुरुषवाद/पुरुष वर्चस्व का कोई स्थान नहीं है । भारत का संविधान महिलाओं को सकारात्मक अधिकारों की पुष्टि करता है और उक्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 से सुस्पष्ट है । जब संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है तो यह समझना होगा कि इसमें कोई रियायत नहीं है। एक आदमी को अपने अहंकार को या, इस मामले में अपने पुरुषत्व को ऊँचे पायदान पर रखकर शिष्टाचार की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार को कानून के सामने झुकना होगा । समानता को इस संदर्भ में संवैधानिक सिद्धांत का सारांश माना जाएगा। तात्कालिक मामले में अपीलकर्ता के दुस्साहसिक अवमूल्यन का चित्रण किया गया है, जिसके कारण एक युवा लड़की के लिए दिल तोड़ने की स्थिति पैदा हुई जिसने उसे उसके जीवन का अंत करने के लिए मजबूर किया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बरी होने के फैसले को बिल्कुल सही ढंग से उलट दिया और सजा सुनाई उसने अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग किया है और हम उस से सहमत हैं ।"

14.4 मदन मोहन सिंह (सुप्रा) के मामले में, आरोपी के ड्राईवर ने अपने सुसाईड नोट में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था, हालांकि , सबूतों पर पता चला कि मृतक अपने वरिष्ठों के खिलाफ असंतोष महसूस करता था और भले ही मृतक ने महसूस किया कि उसके साथ किसी समय अन्यायपूर्ण बर्ताव हुआ था परंतु यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कुछ भी किया था, रिकार्ड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए , इस न्यायालय ने यह पाया कि :-

"10. हमें यकीन है कि इस सुसाईड नोट में या एफ.आई.आर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी प्रकार से अपराध के रूप में देखा जाएगा, और इस प्रकार धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत के अपराध की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। हमें एफ.आई.आर में या तथाकथित सुसाईड नोट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इस बात का सुझाव मिले कि आत्महत्या करने के लिए उकसाया/बहकाया गया था। ऐसे मामलों में यह आरोप अवश्य ही होना चाहिए कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या दूसरी स्थिति में, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची थी और अंत में यह कि आरोपी ने किसी भी तरह से आत्महत्या की घटना को होने देने के लिए कुछ कार्य किया या कोई अवैध चूक (इलिगल ओमिशन) की गई ।

14.5 हम एस. एस.छेना बनाम विजय कुमार महाजन और अन्य (2010) 12 एस.सी.सी.190 के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ इस न्यायालय ने धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत के अपराध के लिए अनिवार्य तत्वों के बारे में दोहराया, जो निम्नानुसार हैं :-

"25. अबेटमेंट (बहकाव/उकसाव) में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है या जानबूझकर एक व्यक्ति को कुछ काम करने में सहायता करना शामिल है। आरोपी की ओर से बिना किसी सकारात्मक कारवाई जिससे कि आत्महत्या करने के लिए उकसाया/बहकाया गया हो, सजा को कायम नहीं रखा जा सकता। विधायिका का इरादा और इस न्यायालय द्वारा निर्णित किए गए मामलों के अनुपात से यह स्पष्ट है कि धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने /सजा देने के लिए स्पष्ट रूप से अपराध करने के लिए Mens Rea (आपराधिक मन: स्थिति) होनी चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य की भी आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप कोई अन्य विकल्प न पाकर मृतक ने आत्महत्या की हो और उस कृत्य का इरादा अवश्य ही मृतक को आत्महत्या की ओर धकेलने वाला रहा हो।"

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

14.6 चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (दिल्ली की एन.सी.सी. सरकार) : (2009) 16 एस.सी.सी. 605 में इस न्यायालय ने रमेश कुमार (सुप्रा) के फैसले का उल्लेख किया तथा आत्महत्या के कारण के रूप में प्रश्नों के निर्धारण से संबंधित जटिलताओं को इंगित करते हुए, संबंधित सिद्धांतों पर खुलासा निम्नलिखित रूप में किया :-

"19. जैसा कि रमेश कुमार (सुप्रा) में देखा गया , जहां आरोपी उसके कृत्यों या उसके निरंतर किए जाने वाले आचरण के द्वारा ऐसी परिस्थिति बनाता है कि मृतक के पार आत्महत्या करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचता , ऐसी स्थिति में "इंसटीगेशन" (उसकसाव/बहकाव) का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, यह स्थापित /प्रमाणित करना होगा कि:-

- (i) आरोपी अपने शब्दों ,कृत्यों या विलफुल ओमिशन (जानबूझकर की गई चूक) या आचरण से मृतक को चिढ़ाते या परेशान करते रहे जो कि एक विलफुल साईलेंस (जानबूझकर रखी गई चुप्पी) भी हो सकती है और ऐसा तब तक जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर दी थी या जिसने मृतक को अपने कृत्यों,शब्दों या विलफुल ओमिशन (जानबूझकर की गई चूक) या आचरण के द्वारा मृतक को आगे की दिशा में और तेजी से बढ़ने के लिए धक्का दिया कया मजबूर किया ; और
- (ii) यह कि आरोपी का इरादा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने/बहकाने, आग्रह करने या प्रोत्साहित करने का था और ऐसा ऊपर उल्लिखित तरीके से किया गया हो। निस्संदेह Mens Rea (आपराधिक मन: स्थिति) की उपस्थिति इंसटीगेशन (उकसाव/बहकाव) के लिए आवश्यक सहचारी/सहगामी है ।

20.यह सवाल कि आत्महत्या का कारण क्या है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है क्योंकि आत्मघाती व्यवहार और मानव व्यवहार बहुत जटिल और बहुमुखी प्रक्रियाएँ हैं। विभिन्न व्यक्ति एक जैसी स्थिति में अलग-अलग प्रतिक्रिया और व्यवहार करते हैं क्योंकि वे अपने-अपने अनुसार प्रत्येक घटना से उसके व्यक्तिगत अर्थ जोड़ते/निकालते हैं और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या के प्रति अतिसंवेदनशीलता पर विचार करने की मन: स्थिति अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का

आत्महत्या करने का पैटर्न (तरीका) उसके आंतरिक व्यक्तिपरक मानसिक दर्द, भय और हानि या आत्म सम्मान के अनुभव पर निर्भर करता है। इन कारकों में से प्रत्येक कारक एक व्यक्ति के अपने स्वयं के जीवन को समाप्त करने के लिए अतिसंवेदनशीलता के लिए एक अति महत्वपूर्ण और तेज करने वाला योगदानकर्ता है, जो या तो आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास हो सकता या असहनीय आत्म से पलायन हो सकता है।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

14.7 अमलेंदु पाल बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू बी: (2010)। एस.सी.सी. 707 में, पिछले कई फैसलों के संदर्भ में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"12. इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह विचार अपनाया है कि एक आरोपी को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत के अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले न्यायालय को तथ्यों की गहराई से जाँच करनी चाहिए और मामले की परिस्थितियों और साक्ष्यों का भी आकलन करना चाहिए जो कि उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए हो ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने उसके लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था। इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने/बहकाने के कथित मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाव/बहकाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य का प्रमाण होना ही चाहिए। केवल उत्पीड़न के आरोप पर और वह भी आरोपी के द्वारा घटना के निकटवर्ती समय के दौरान बिना किसी सकारात्मक कारवाई के ही जिससे की कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, ऐसी परिस्थितियों में धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई सजा कायम नहीं रह सकती।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

15. इस प्रकार, "अबेटमेंट" (उकसाव/बहकाव) में किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए उकसाने/बहकाने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए उकसाता है, जब (i) वह किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए "इंसटीगेट" (उकसाता/बहकाता) है; या

(ii) वह एक या अधिक व्यक्तियों के साथ किसी साजिश में जुड़ता है ताकि वह कार्य हो सके; या

(iii) वह उस कार्य को होने देने के लिए जानबूझकर बढ़ावा देता है, अपने कृत्यों द्वारा या अवैध चूक (इलीगल ओमिशन) द्वारा। यह "अबेटमेंट" (बहकाव/उकसाव) को एक अपराध के रूप में पूरा होने देने के लिए आवश्यक है। शब्द "इंसटीगेट" (बहकाव/उकसाव) का शाब्दिक अर्थ है भड़काना, उत्तेजित करना, आग्रह करना या कुछ भी करने के लिए राजी करना।

16. आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव के कथित मामलों में आत्महत्या करने के लिए भड़काने के कृत्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण अवश्य होने चाहिए। इस बात पर मुश्किल से ही कोई विवाद है कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव के अपराध के संदर्भ में, विवादास्पद ही रहता है, जिसमें मानव व्यवहार के बहुमुखी और जटिल गुण और प्रभाव/प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। जिस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा हो, उसमें न्यायालय आत्महत्या करने के लिए किए गए

बहकाव/उकसाव के कृत्यों के ठोस व विश्वसनीय सबूत की तलाश करेगी। आत्महत्या के मामले में, किसी व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का केवल आरोप ही पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई कारवाई न की गई हो जो किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हो; और इस तहर का नुकसान पहुँचाने वाला कृत्य घटना के समय के समीप होना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य को आत्महत्या करने के लिए उकसाया/बहकाया या नहीं इस बात का पता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है।

16.1 यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य को आत्महत्या करने के लिए बहकाया/उकसाया है, विचार करने योग्य बात यह होगी कि क्या आरोपी आत्महत्या के कृत्य को करने के लिए उकसाने /बहकाने के कृत्य का दोषी है। जैसे कि ऊपर बताये गए निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा समझाया और दोहराया गया है, “इंसीटीगेशन” (उपसाव/बहकाव) का अर्थ है कोई कृत्य करने के लिए उकसाना, आगे के लिए आग्रह करना, भड़काना या प्रोत्साहित करना। यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अति संवेदनशील थे और सामान्यतः ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि आरोपी का कृत्य अन्यथा समान रूप से परिस्थितिजन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसी स्थिति में आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव के अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आरोपी अपने कृत्यों द्वारा और उसके अपने लगातार किए जाने वाले आचरण द्वारा ऐसी स्थिति बनाता है जो मृतक को यह महसूस कराता है कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो मामला धारा 306 भारतीय दंड संहिता के चार कोनों के भीतर हो सकता है। यदि आरोपी पीड़िता के आत्म सम्मान और स्वाभिमान को कलंकित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या की ओर ले जाता है, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए “अबेटमेंट” (उकसाव/बहकाव) के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आरोपी की ओर से *Mens Rea* (आपराधिक मनः स्थिति) के प्रश्न की जाँच आरोपी के वास्तविक कृत्यों और कर्मों के संदर्भ में की जाएगी और यदि यह कृत्य और कर्म केवल ऐसी प्रकृति के हैं जहाँ अभियुक्त का इरादा उत्पीड़न या क्रोध दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव के अपराध से कमतर प्रकृति का हो सकता है। परंतु यदि आरोपी मृतक को शब्दों या कृत्यों से तब तक चिढ़ाता या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर दी या वह उकसा दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव का मामला हो सकता है। चूंकि यह मानव व्यवहार के नाजुक विश्लेषण का मामला है, प्रत्येक मामले को उसके स्वयं के तथ्यों पर जाँचने की आवश्यकता होती है और ऐसा करते हुए आसपास के सभी कारकों, जिसका कि आरोपी और मृतक के कृत्यों और चित्त पर उसर पड़ता हो, को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है।

16.2 हम यह भी देख सकते हैं कि मानव मन असंख्य तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकता है और प्रभावित हो सकता है; और दूसरे के दिमाग पर एक की कारवाई का प्रभाव कई *imponderables* (अतिसूक्ष्म/भारहीन) वहन करती है। समान कारवाइयों/परिस्थितियों से विभिन्न व्यक्ति अलग-अलग प्रकार से निपटते हैं; और जहाँ तक कि किसी विशेष व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के कृत्यों के प्रति प्रतिक्रिया का प्रश्न है, इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रमेय (*theorem*) या मापदंड नहीं है जिससे इस बात का अनुमान या आकलन लगाया जा सके। यहां तक की एक लड़की के उत्पीड़न के सवाल से संबंधित कारकों के संबंध में कई कारकों जैसे आयु, व्यक्तित्व, परवरिश, ग्रामीण या शहरी माहौल, शिक्षा आदि यहाँ तक की इव-टीजिंग (छेड़खानी) की दुर्भावनापूर्ण कारवाई के प्रति की गई प्रतिक्रिया और एक युवा लड़की पर इसका प्रभाव भी कई कारकों के

कारण अलग-अलग हो सकते हैं और इसमें पृष्ठभूमि, आत्मविश्वास और परवरिश शामिल हैं। इसलिए, प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निपटाये जाने की आवश्यकता है।

17. उपयुक्त सिद्धांतों के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखने के बाद, हम यह ध्यान में रख सकते हैं कि इस अपील में आने वाले वास्तविक प्रश्न हैं:-

- (i) क्या आरोपी व्यक्ति उन कृत्यों और कथनों के दोषी है जिनके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया ; तथा
- (ii) यदि प्रश्न (i) का उत्तर affirmative (सकारात्मक) है क्या इस तरह के कृत्य और कथन केवल अपमान या धमकी के थे इंस्टीगेशन (उकसाव/बहकाव) के थे; और क्या इस तरह के कृत्य और कथन आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव है ?

17.1 उपरोक्त प्रश्नों में प्रवेश करने से पहले यह देखा जा सकता है कि इस अपील में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता की बेटी ने वास्तव में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। यह तथ्य रिकार्ड पर सिद्ध किया जा चुका है और ट्रायल न्यायालय (निचली अदालत) और उच्च न्यायालय ने समवर्ती (concurrently) रूप से इस तथ्य को प्रमाणित पाया है। मामले के इस पहलू पर और कोई dilation (फैलाव) अपेक्षित नहीं है। इसी तरह, आरोपियों की ओर से दिए गए एक कमजोर/शक्तिहीन सुझाव में भी कोई वजन नहीं है कि 05.05.1996 को आरोपी संख्या 03 व 04 गाँव में उपलब्ध नहीं थे और इस बारे में निकाले गए निष्कर्ष में भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. मामले में निर्धारण के लिए बिंदुओं की सामग्री की ओर आते हुए, इस सवाल पर कि क्या आरोपी व्यक्ति कृत्यों के लिए दोषी थे और उनके कहे गए कथनों के बारे में उन पर लगे आरोप, हमें अधिक समय तक नहीं रोकते हैं। यह तथ्य कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया और इस तरह के कथन बोले , यह तथ्य अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से पर्याप्त तरीके से सिद्ध होता है, विशेष रूप से पी.डब्ल्यू-01, पी.डब्ल्यू-02, और पी. डब्ल्यू-011, जैसा कि ऊपर देखा गया है। यह भी संदेह से परे सिद्ध है कि इस तरह के कथन कोई एकमात्र या अकेली घटना के नहीं थे, लेकिन आरोपी, जो की एक साथ काम कर रहे थे, ने लगातार शिकायतकर्ता की बेटी के प्रति कथित तौर पर गलत कथन कहे थे और उन्होंने लड़की को लगातार ताने मारे थे, जिसने आरोपी से उसकी आखिरी भिड़ंत/मुठभेड़ के बाद अगले ही दिन आत्महत्या कर ली थी। दिए गए तथ्यों की स्थिति में, सवाल यह है कि क्या आरोपी के कृत्यों और कथनों ने ही आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव के अपराध की ओर अग्रसर किया था या केवल अपमान और/या धमकी /डराना के अपराध की ओर ?

19. रिकार्ड की समग्रता से जाँच करने के बाद, हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आरोपी के कृत्य और कथन निरंतर आधार पर मृतक की ओर निर्देशित थे उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था और आरोपी व्यक्ति आत्महत्या के अपराध के लिए दोषी है।

20. मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता (मृतक के पिता) और आरोपी व्यक्ति, हरियाणा राज्य के एक ही गाँव के रहने वाले थे, वे चचेरे भाई के रूप में निकटता से संबंधित थे लेकिन उनके संबंधों में दरार आ गई थी; और वे एक दूसरे के खिलाफ कई सिविल और आपराधिक मामलों में शामिल थे। यह स्वीकार किया गया है कि दोनों पार्टियों के बीच संपत्ति का विवाद था जिसमें की बाद में समझौता हो गया था लेकिन पार्टियों के संबंध सुधरे नहीं। आरोपी नं० 1 (अब मृतक) के द्वारा शिकायतकर्ता और उसके भाई के खिलाफ एक आपराधिक मामला था जिसमें कथित रूप से धारा 307 भारतीय दंड संहिता का अपराध शामिल था। इसके अलावा, एक और आपराधिक मामला था जिसमें शिकायतकर्ता की पत्नी (पी.

डब्ल्यू-11 श्रीमती कृष्णा) ने आरोप लगाया कि इस मामले के आरोपी संख्या 01 ने गंडासा से उसके साथ मारपीट की थी। 15.04.1996 की घटना (जब मृतक लड़की को आरोपी संख्या 01 ने घसीटा था) कथित तौर पर उस आपराधिक मामले में जो कि मृतक लड़की की माता द्वारा किया गया था, में साक्ष्य देने के बाद हुई थी। इसलिए पार्टियों के बीच में मधुर संबंध नहीं थे और यहाँ तक कि एक दूसरे की ओर बहुत ज्यादा दुश्मनी के तत्व मौजूद थे। दूसरी ओर, मृतक लड़की की स्थिति यह थी कि वह लगभग 18 वर्ष की थी; वह दसवी की मानक परीक्षा में असफल रही और व्यवहारिक रूप से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी; और शादी के उद्देश्य से उसकी सगाई हो चुकी थी लेकिन घटना, जो कि सवाल में है, से छह महीने पहले, उसकी सगाई टूट गई थी। आरोपी संख्या 01 और 02 उसके संबंध में चाचा थे जबकि आरोपी संख्या 03 और 04 उसके चचेरे भाई थे।

21. इस माहौल और पार्टियों की पारस्परिक स्थितियों में, यदि आरोपी संख्या 01 ने लगातार मृतक लड़की को अपनी "बीवी" कहकर संबोधित किया या बुलाया था, हमारे विचार में, यह उच्चारण/कथन केवल चिढ़ाने मात्र का नहीं था बल्कि यह एक जवान लड़की के आत्म सम्मान को नीचा दिखाने और नष्ट करने का था जिसकी सगाई टूट गई थी और जिसका चाचा उसके साथ विवाह में शामिल होने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। यह उस लड़की के लिए अपमान की इंतहा थी, जिसने उसकी सगाई टूटने के कारण व्यक्तिगत पीड़ा झेली थी, और यह इस बात के अलावा कि वह दसवीं की मानक परीक्षा भी पास/उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। जाहिर है कि उसकी सगाई टूटने के कारण उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और उसे ताना मारा जा रहा था। अन्य आरोपियों ने आरोपी संख्या 01 के कृत्य में शामिल होना चुना और इस प्रकार उस लड़की को छोटे भाई की बीवी या आंटी के नाम से संबोधित करके उन्होंने उसके अपमान की प्रक्रिया को और अधिक बिगाड़ दिया। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आरोपी व्यक्ति उस लड़की की सगाई टूटने के संदर्भ में एक सामान्य इरादे के साथ काम कर रहे थे और यह इरादा उस लड़की को तंग/परेशान और अपमानित करना। इस मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मृतक को ताने मारने और अपमानित करने की घटना, कोई एकांत या एकमात्र घटना नहीं थी बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पर्याप्त तरीके से सिद्ध किया गया है। 05.05.1996 की घटना बर्दाश्त से बाहर थी जब उस असहाय लड़की को आरोपियों ने फिर से वही ताने मारे और उसने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जहाँ तक 05.05.1996 की घटना का प्रश्न है, हमें पी.डब्ल्यू-02, जय नारायण के बयान पर अविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं मिला है। समान रूप से, पी.डब्ल्यू-11 श्रीमती कृष्णा के बयान पर अविश्वास का भी कोई कारण नहीं है, जहाँ उसने कहा कि उक्त घटना के बाद उसकी बेटी सारी रात रोई थी; और ऐसे अपमान के कारण हताश होने पर उसने जीवन को समाप्त करने का इरादा व्यक्त किया। मामले का तथ्य यही है कि पीडित लड़की ने अगले दिन सुबह ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

22. मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामला मात्र छेड़खानी, अपमान या डराने-धमकाने का नहीं था बल्कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा निरंतर किए गए कृत्य और कथन गाँव की लड़की को कलंकित/अपमानित करने के लिए और उसके आत्मसम्मान को नष्ट करने के लिए थे; बल्कि कृत्यों और कथनों का उद्देश्य उसे बेबसी के कगार पर, और सहिष्णुता के लुप्त बिंदू तक ले जाना था। यह केवल डराने या अपमानित करने के लिए नहीं था। मासूम लड़की को लगातार डराना और अपमानित करना "इंसटीगेशन" (बहकाव/उकसाव) ही था; और यह "इंसीगेशन" (बहकाव/उकसाव) स्पष्ट रूप से आत्महत्या के लिए उकसाव/बहकाव की ओर इंगित करती है। इसलिए, हमारे विचार में, आरोपी संख्या 01 और 03 को आत्महत्या के उकसाव/बहकाव के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना ठीक ही है।

23. अपीकर्ताओं का यह तर्क कि उनका इरादा कभी भी उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करना नहीं था, इस तर्क को अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि ऊपर देखा गया है, आरोपी व्यक्तियों ने उस असहाय लड़की को उसका अपमान करने के लिए जानबूझकर चुना था जो अन्यथा उसके माता-पिता के

साथ कई मुकदमों में शामिल थे। आरोपी व्यक्तियों को यह भी पता था कि लड़की का पिता गाँव के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। जैसा कि देखा गया है, आरोपियों की मंशा केवल यही थी कि मृतक को असहाय और असहिष्णुता की कगार तक ले जाया जाए, वे वास्तव में 05.05.1996 को ऐसा करने में सफल रहे, जब लड़की ने उन्हें उनके कथनों के लिए फटकार लगाई थी। परंतु, पीड़ित लड़की को कोई रास्ता नहीं सूझा क्योंकि आरोपियों के हाथों अपमानित होना हर रोज का मामला था; और ; जिस सामाजिक माहौल से वह संबंधित थी, इसके कारण उसके परिवार द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई भी कारवाई उसके सम्मान की खातिर टाली जा रही थी।

24. वर्तमान मामला वास्तव में ग्रामीण माहौल में एक युवा लड़की के संदर्भ में एक गंभीर स्थिति दर्शाता है, जिसका सम्मान और स्वाभिमान किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा बुरी तरह से दूषित/अपवित्र किया गया जिन्होंने उसके माता पिता के साथ अपने हिसाब को चुकता करने के लिए उसे एक नरम लक्ष्य के रूप में पाया बल्कि आरोपियों ने युवा लड़की को निशाना बनाते हुए अपनी निंदात्मक सोच दर्शायी जिन्हें कि अन्यथा उसके साथ स्नेह और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए था क्योंकि वे उनकी भतीजी थी यानि कि वे उसके चचेरे भाई थे। इस मामले के तहत केवल इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने जानबुझकर उनके लगातार के कृत्यों और कथनों द्वारा पीड़ित लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाया था। उसने वास्तव में आरोपी के साथ अपनी आखिरी और असहनीय मुठभेड़ के कुछ घंटे के भीतर ही आत्महत्या कर ली। 05.05.1996 की शाम को आरोपी द्वारा किए गए कृत्य और कथन 06.05.1996 की सुबह 09 बजे की आत्महत्या की घटना के बेहद समीप घटे। जैसा कि पी.डब्ल्यू-11, श्रीमती कृष्णा ने गवाही दी है कि चूंकि आरोपी द्वारा उसकी बेटी का रोज रोज किया जाने वाला अपमान असहनीय हो चुका था, इसलिए उसकी बेटी रात भर रोती रही और उसने सुबह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

25. जो कुछ भी ऊपर वर्णित किया गया है और समूचे मामले की समग्रता से जाँच करने पर हम अपीलकर्ता 01 और 03 के संदर्भ में इम्पयून्ड (impugned) निर्णय व आदेश दिनांकित 05.05.2008 में हस्तक्षेप/दखल देने के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं

26. तदनुसार और उपरोक्त के मद्देनजर, यह अपील ,जहाँ तक कि अपीलकर्ता 02 से संबंधित है, आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है; उच्च न्यायालय के इम्पयून्ड (impugned) निर्णय और आदेश, जिसमें कि उसकी सजा बरकरार रखी गई थी, को दरकिनार किया जाता है; और उसके संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई है। परंतु अन्य अपीलकर्ताओं के संबंध में यह अपील खारिज हो गई है, जिन्हें कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई सजा में से बचे शेष भाग की सजा पूरी करनी होगी ।

..... न्यायाधीश
अभय मनोहर सपरे

....., न्यायाधीश
दिनेश माहेश्वरी

नई दिल्ली
तारीख: 25 जुलाई, 2019

xxxxxxxx

अस्वीकरण: क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Translated by Shri Vishal Kumar, Translator. Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.